

कड़कड़ाती ठंड में उजाड़े जा रहे आदिवासियों के घरोंदे वन विभाग द्वारा उड़ाई जा रही वन अधिकार कानून की धज्जियाँ



पशा। पुस्तों से बसे आदिवासियों जिन्होंने वन अधिकार कानून के अन्तर्गत पट्टे क लिये दिये थे आवेदन परन्तु वन आवेदनों पर गौर किए बगैर इन बहोत गिवासी आदिवासियों को जबरन वन विभाग द्वारा हटाये जाने से आक्रोशित आदिवासियों ने समाजसेवी युसुफबेग के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि यह सभी आदिवासी ग्राम बहोत तहसील व जिला पन्ना की भूमि पर काबिज है व वनों के सहारे और मजदूरी कर अपना जीवकां र्जन करते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हम परम्परागत अनुसूचित जन जाति के वनवासियों को वनों से खदेडा जा रहा है और वने खोपडों को गिराया जा रहा है जिससे इस भीषण ठंड में यह बगैर ठल

के हो जाने के साथ-साथ अपने बच्चों के साथ ठंड में दर दर भटकने को मजबूर है। इन सभी आदिवासियों में वन अधिकार कानून के अन्तर्गत पट्टे क लिये आवेदन किया गया है इनके वन अधिकारों को सुलझाए बिना और बिना कोई सूचना दिए वन अमले द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है जो सरासर अनुचित है। इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम अशोक ओहरी को सौंपा गया। एसडीएम पन्ना ने जांच का आश्वासन देकर सभी को वापस कर दिया। आदिवासियों का कहना है कि मरते दम तक हम अपनी जमीन नहीं छोडेगे इनका नेतृत्व कर रहे समाजसेवी युसुफ बेग, एम0एल0 विष्णुकामा, अनंता खान आदिवासी वनवासी महासंघ एवं समाजसेवी रजुल



निगम ने इनकी लडाई में सहा देते हुए प्रशासन को आगाह किया गया है कि अगर इन्हे घर से बेधर किया गया तो इसके परिणाम गम्भीर होंगे और सभी मिलकर

इन आदिवासियों के हक में जिला प्रशासन एवं वन विभाग के विरुद्ध आंदोलन छेडने को मजबूर हो जायेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सैकड़ों आदिवासी मौजूद थे।